संख्या: 23/2020/1266/46-1-20-1000(06)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 11 सितम्बर, 2020

विषय- लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2020-21 में गैर वेतन मद हेतु प्राविधानित धनराशि रू.100/- लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू.25/- लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 55/लेखा-बजट(चीनी), दिनांक 26-08-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू.100/- लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या: 21/2020/642/46-1-20-1000(6)/2020, दिनांक 05.06.2020 द्वारा निर्गत प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू.25/- लाख **(रूपये पच्चीस लाख मात्र) के पश्चात अवशेष धनराशि रू.75/- लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र)** के सापेक्ष संलग्नक में उल्लिखित मदवार विवरण के अनुसार द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू.25/- लाख **(रूपये पच्चीस लाख मात्र)** को आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिन्धों के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसे यथा आवश्यकता आहरित करके निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को व्यय एवं उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या: 5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य व्यय एवं मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र., प्रयागराज एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ एवं शासन को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही राजकोष से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस (डिपाजिट खाते) में नहीं रखी जायेगी ।

(5) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों एवं कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता तथा कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। निदेशक तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना एवं आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों एवं आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग एवं उपक्रम में तैनात नियंत्रक, मुख्य, वरिष्ठ एवं सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या: 24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना 0304-लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान,** उ.प्र., लखनऊ को सहायता-**20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-634/दस-2020, दिनांक 07 सितम्बर, 2020 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 23/2020/1266(1)/46-1-20-1000(06)/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वितत्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या: 23/2020/1266(2)/46-1-20-1000(06)/2020, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 का संलग्नक

क्र.	मद विवरण	कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मद/कार्यवार फॉट (रू. लाख)	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (रू. लाख)	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (रू. लाख)
1	2	3	4	4
	क-सामान्य (गैर वेतन)			
1	जीप कार पर व्यय	3.00	0.75	0.75
2	डाक तार पर व्यय	0.20	0.05	0.05
3	स्टेशनरी पर व्यय	1.50	0.375	0.375
4	विद्युत बिलों का भुगतान	20.00	5.00	5.00
5	विद्युत ध्वनि उपस्कर	2.00	0.50	0.50
6	ट्यूबबेल रख-रखाव	1.00	0.25	0.25
7	भवन कर एवं किराया	40.00	10.00	10.00
8	फोटो कापियर/कम्प्यूटर रख-रखाव	1.00	0.25	0.25
9	टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.25	0.25
10	विविध व्यय	1.92	0.48	0.48
11	वातानुकूलन का रख-रखाव	3.00	0.75	0.75
12	श्रोतृशाला बीमा	0.08	0.02	0.02
13	कानूनी व्यय	2.00	0.50	0.50
14	भवन किराया गोरखपुर/मुरादाबाद	3.30	0.825	0.825
15	लिफ्ट एवं फायर फाइटिंक सिस्टम वार्षिक रख रखाव	2.00	0.50	0.50
16	होमगार्ड/गैंग मैन मानदेय	12.00	3.00	3.00
17	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मानदेय	6.00	1.50	1.50
	योग-	**100.00**	**25.00**	**25.00**

(रूपये पच्चीस लाख मात्र)

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है